UPPG010052302026

Presented on : 17-07-2026
Registered on : 17-07-2026
Decided on : 11-08-2026
Duration : 0 years, 0 months, 25 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०)
J.O. CODE–UP 6467
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2173/2026

प्रिन्स पटेल उर्फ सोनू उम्र लगभग 21 साल युत रामचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम बीबीपुर बारडीह थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु०अ०सं०–278/2026
धारा–69, 89, 351 (3) बी.एन.एस.
थाना–पट्टी, जनपद–प्रतापगढ़।

दिनांक 11.08.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **प्रिन्स पटेल उर्फ सोनू** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–278/2026, धारा–69, 89, 351 (3) बी.एन.एस. थाना–पट्टी, जनपद–प्रतापगढ़ के अन्तर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलम्ब से कानूनी रायमशविरे के बाद दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई अस्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। गर्भवती होने पर गर्भपात कराने की बात कही गयी है। पीड़िता के गर्भवती होने तथा गर्भपात कराने का सम्बन्ध में कोई भी मेडिकल साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि शारीरिक शोषण व गर्भपात की घटना असत्य है। पीड़िता का उक्त व अभियुक्त की उम्र में काफी अन्तर है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कभी का सजायाफ्ता है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है न ही प्रस्तुत हुआ है और न ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.08.11 16:08:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार व शारीरिक शोषण कारित किया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

3. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी राजेश्वरी पटेल, प्रिंस पटेल के ही गाँव का है तथा प्रार्थिनी से जान–पहचान एक ही बिरादरी का होने के कारण हो गयी थी। प्रिंस पटेल प्रार्थिनी के संपर्क में धीरे–धीरे आना शुरू किया तथा वार्तालाप फोन तथा अन्य मौखिक होती रही। चोरी–छिपे प्रार्थिनी से मिलता रहा और धीरे–धीरे प्रार्थिनी से संपर्क गहरा हो गया। विपक्षी प्रिंस पटेल ने प्रार्थिनी से शादी का वादा किया तथा शादी का झांसा देकर प्रार्थिनी के साथ दिनांक 05.06.2024 से लगातार प्रार्थिनी की मर्जी के खिलाफ बलात्कार करता रहा और यह कहता रहा कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँगा। कई बार प्रार्थिनी के साथ बालात्कार के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। बलात्कार करते समय विपक्षी का कुछ समय का नग्न वीडियो भी बनाया बाद में नग्न वीडियो को वायरल करने की धमकी भी देकर प्रार्थिनी का बलात्कार किया। इसी बीच उक्त प्रिंश पटेल से गर्भवती हो गयी। गर्भवती होने के दौरान प्रार्थिनी की शिकायत पर मामला जब लोगों को पता चला तो गाँव के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष दि० 28.02.2026 यह समझौता हुआ कि दोनों शादी कर लेंगे। सन्धि होने के बाद विपक्षी ने मेरी मर्जी के विरूद्ध गर्भपात करा दिया और बराबर शोषण करता रहा। इस प्रकार प्रार्थिनी का शोषण व बलात्कार किया तथा उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात भी करा दिया और यह धमकी दिया कि अगर कहीं शिकायत किया तो तुम्हे जान से मार दूगाँ। धारा 180 बी.एन.एस.एस. के साक्ष्य में पीड़िता ने कहा कि मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरे ही गांव के प्रिंस पटेल ने मुझसे शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार करता रहा। मेरा नग्न वीडियो भी बनाया व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। जिस कारण मैं गर्भवती हो गई। समझौते के बाद मेरा गर्भपात करा दिया और शोषण करता रहा। प्रिंस ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के साक्ष्य में पीड़िता ने कहा कि मेरे गांव के प्रिंस पटेल शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिसम्बर 2025 में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो प्रिंस ने मुझे शादी का वादा करके दवा खिला दिया। फिर शादी से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर दिनांक 05.06.2024 से लगातार मर्जी के खिलाफ बलात्कार व शारीरिक शोषण करना बताया गया है। पीड़िता का बलात्कार करते समय नग्न वीडियो बनाया जाना व नग्न वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्कार करना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थी/अभियुक्त **प्रिन्स पटेल उर्फ सोनू** का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2173/2026, मु०अ०सं०–278/2026, धारा–69, 89, 351 (3) बी.एन.एस. थाना–पट्टी, जनपद–प्रतापगढ़ **निरस्त** किया जाता है।

Dictated on :11.08.2026
Transcribed on :11.08.2026
checked on : 11.08.2026
Signed on :11.08.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
प्रतापगढ़।
J.O. CODE–UP 6467